न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/06/2025 रजू दिनांकः 15.01.2025 रजि0 न0 2025/9

अपीलार्थीः–

श्री लालाराम सैनी पुत्र स्व0 श्री सुन्दरलाल सैनी, निवासी मौहल्ला अखैपुरा, राजपूत छात्रावास के पीछे, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 17.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 12.12.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक
4. 20.01.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्रतिलिपि प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/147 दिनांक 11.02.2025 एवं जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/148 दिनांक 11.02.2025 न्यायालय को प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI आवेदन दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से पेंशन राशि को कम्प्यूटेशन से मुक्त करने संबंधी, संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राज0 जयपुर को प्रस्तुत परिवेदना दिनांक 10.09.2024 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी का मूल आर.टी.आई आवेदन दिनांक 11.11.2024 इस लोक प्राधिकरण को अप्राप्त है, तथापि निर्देशानुसार प्रकरण में अद्यतन जानकारी प्राप्त किए जाने पर, कोषाधिकारी, अलवर के पत्रांक कोष/अल/आरटीआई/2024–25/72 दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से सूचना (कुल 03पुष्ठ) प्राप्त हुई है जो मूल ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर प्रेषित की जा चुकि है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त कर पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/147 दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)